



कार्यालय नगर पालिका निगम, इन्दौर (म.प्र.)

रजिस्ट्रीकरण क्रमांक

315/का.से./2007/इन्दौर

दिनांक 13/12/07



रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र

पालिका निगम अधिनियम 1956 और उसके अन्तर्गत निर्मित मध्यप्रदेश नगर निगम अधिनियम 1998 एवं उपनियम 2 (संशोधन) अधिनियम 2003 के अधीन

श्री/श्रीमती
संस्था/मेसर्स
कार्यालय का पता
निवास का पता

जिला इन्दौर का एतद् द्वारा भवन निर्माता के रूप में रजिस्ट्रीकरण निम्नलिखित शर्तों के अधीन किया जाता है -

1. यह पंजीयन नगर पालिका निगम इन्दौर क्षेत्र तक के लिये है।
2. प्रत्येक अतिरिक्त भवन निर्माण के लिये अनुमति पृथक से संबंधित विभाग से प्राप्त करना होगी।
3. नये अध्यक्ष / भवन निर्माता / प्रबंधक की पद स्थापना एवं संस्था के पंजीकृत कार्यालय के पते में परिवर्तन की स्थिति में आयुक्त नगर पालिका निगम इन्दौर को अनिवार्य रूप से सूचित करना होगा।
4. यह रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र जारी दिनांक से 5 वर्ष की अवधि के लिये निगम सीमा हेतु मान्य होगा, तत्पश्चात् विधि अनुसार नवीनीकरण कराना आवश्यक होगा।
5. सहकारी गृह निर्माण संस्था होने की दशा में 90 दिन की कालावधि में बैंक ग्यारंटी प्रस्तुत करना अनिवार्य है, अन्यथा रजिस्ट्रीकरण रद्द कर दिया गया समझा जावे।
6. भवन निर्माता को फ्लेट/स्वतंत्र भवन/एकल भवन/प्रकोष्ठ (अपार्टमेंट) में भवनों को विक्रय द्वारा अन्यथा अंतरण का प्रयोजन करने की पात्रता विधि अनुसार तब ही होगी जब भवन निर्माता द्वारा भवन निर्माण की अनुमति नियमानुसार निगम द्वारा प्राप्त कर ली हो।
7. पर्यावरण के नियमों का पालन करना होगा।
8. भवन निर्माता को कचरा डालने हेतु प्रथक से स्थान सुनिश्चित करना होगा।
9. निर्मित भवन में वॉटर हारवेस्टिंग की व्यवस्था भवन निर्माता को स्वयं करनी होगी।
10. छिपाए गये तथ्यों की स्थिति में अथवा किसी प्रकार का विवाद या विभाग की आपत्ति आने पर जारी किया गया प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त माना जावेगा।

स्थान : इन्दौर

दिनांक : 13/12/07

आयुक्त

नगर पालिका निगम, इन्दौर (म.प्र.)

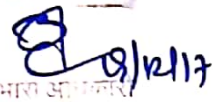
नगर पालिक निगम, इन्दौर
1972 कालोनी सेल
पत्र क्र. / का.से. दिनांक 27/12/13

पृष्ठांकित रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र क्रमांक 315
दिनांक 23/12/13 की समयावधि दिनांक 12/12/13
पूर्ण होने से उक्त रजिस्ट्रीकरण का म.प्र. नगर पालिका
(कालोनी इंडर का रजिस्ट्रीकरण नियम 1972) नियम 1972
के नियम 3 व 4 के अंतर्गत आवश्यक पूर्ति होने से पुनः दिनांक
27/12/13 से दिनांक 6/12/17 तक 5 (पांच) वर्ष
के लिये नवीनीकरण किया जाता है, शेष शर्तें पुराने पत्र के अनुसार बंधावत
रहेगी।


प्रभारी अधिकारी
कालोनी सेल
न.पा.नि., इन्दौर

नगर पालिक निगम, इन्दौर
3398 कालोनी सेल
पत्र क्र. / का.से. दिनांक 12.0-DEC-2017

पृष्ठांकित रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र क्रमांक 315
दिनांक 13/12/07 की समयावधि दिनांक 06/12/2017 तक
पूर्ण होने से उक्त रजिस्ट्रीकरण का म.प्र. नगर पालिका
(कालोनी इंडर का रजिस्ट्रीकरण नियम 1972) नियम 1972
के नियम 3 व 4 के अंतर्गत आवश्यक पूर्ति होने से पुनः दिनांक
07/12/2017 से दिनांक 06/12/2022 तक 5 (पांच) वर्ष
के लिये नवीनीकरण किया जाता है, शेष शर्तें पुराने पत्र के अनुसार बंधावत
रहेगी।


प्रभारी अधिकारी
कालोनी सेल
न.पा.नि., इन्दौर

नगर पालिक निगम, इन्दौर

को.से. नि.का.



नगर पालिक निगम, इन्दौर